

नियमांक 6074/2018/सीहोर/बृ. २०  
निर्भय सिंह यादव आत्मज मंगल सिंह यादव  
आयु-46 वर्ष निवासी-मठा गांव (टप्पर)  
तहसील रेहटी जिला सीहोर म0प्र0 --

प्र.क.....

364

पुनरीक्षणकर्ता

विलङ्घ

1. विजय सिंह आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह यादव  
आयु-लगभग 60 वर्ष
2. रामराज आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह यादव  
आयु-लगभग 55 वर्ष हाल मुकाम-मकान क. एलआईजी 17,  
हर्षवर्द्धन नगर, माता मंदिर के पास भोपाल
3. मोहन सिंह आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह यादव  
आयु-लगभग 50 वर्ष
4. स्वरूप सिंह आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह यादव  
आयु-लगभग 48 वर्ष
5. कमलेश आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह यादव  
आयु-लगभग 42 वर्ष  
उपरोक्त सभी निवासीगण- मठा गांव (टप्पर)  
तहसील रेहटी जिला सीहोर म0प्र0 --

उत्तरवादीगण

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है-

#### पुनरीक्षण याचिका का विवरण

यह कि माननीय अधीनस्थ व्यायालय श्रीमान  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुधनी जिला सीहोर जिला सीहोर  
म0प्र0 के प्रकरण क. 65/अ/16-17 निर्भय सिंह विलङ्घ  
विजय सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 से  
क्षुब्धि, असंतुष्ट व विदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका ठोस  
तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को सफल  
होने की पूर्ण आशा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/6074/18/खेदी(न्यू)

निर्णय/विषय

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं<br>अधिभाषकों के<br>हस्ताक्षर |
|---------------------|---|--|
| 20/12/18            | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>दिल्लीराम सिंहादिपा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>तुड़ानी लीढे</u> के प्रकरण क्रमांक <u>65/31/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>2/7/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>लोटी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>लोटी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  |  |